

स्रोत पर आयकर की कटौती (Income Tax Deduction at Sources)

आयकर एक वार्षिक कर है जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति (Person) द्वारा देय है, जिसकी गतवर्ष (Previous Year) की सभी साधनों से प्राप्त एवं प्राप्य कर योग्य आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक थी। आयकर सम्बन्धी नियम अत्यन्त परिवर्तनशील है एवं प्रति वर्ष वित्त विधेयक के माध्यम से इन नियमों में संशोधन होता रहता है।

वर्तमान में आयकर सम्बन्धी अनेक कार्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा Tax Information Network के माध्यम से सम्पन्न किये जाते हैं।

आय की परिभाषा :-

धारा 2(24)

आयकर अधिनियम में आय (Income) की कोई परिभाषा न देकर यह कहा गया है कि आय में क्या-क्या सम्मिलित हैं। इसमें प्रत्येक प्रकार के करदाताओं को विभिन्न साधनों से होने वाली आयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

- (i) लाभ और अभिलाभ (Profit and Gains);
- (ii) लाभांश (Dividend);
- (iii) वेतन अथवा वेतन के बदले में मिले हुए लाभ (Profits in lieu of Salary) व अनुलाभ (Perquisites) से प्राप्त वेतन शीर्षक में आय मानी जाती है;
- (iiia) कोई विशेष भत्ता अथवा लाभ जो करदाता को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूर्णतया, अनिवार्यतया तथा विशिष्टतया (Wholly, necessarily and exclusively for the performance of the duties) से किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष रूप से (Specifically) दिए गए हों;
- (iiib) करदाता को स्वीकृत कोई भत्ता, जो उसे अपने कर्तव्यों का साधारणतः पालन करने के स्थान पर अथवा जहाँ वह साधारणतया रहता है, अपने निजी व्ययों की पूर्ति के लिए प्राप्त हो अथवा जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत (Compensation for the Increased cost) की प्रति-पूर्ति के लिए हो; जैसे नगर प्रतिपूर्ति भत्ता (CCA) आदि;
- (iv) पूंजी लाभ जो धारा 45 के अन्तर्गत कर योग्य है;
- (v) लाटरी, क्रासवर्ड पहेली, दौड़ (घुड़दौड़ सहित) ताश के खेल व अन्य किसी प्रकार के जुए या सट्टे से प्राप्त कोई राशि आय मानी जाती है;

“सकल कुल आय” (Gross Total Income) :-

धारा -

80 B(5)

“सकल कुल आय” का अर्थ निम्न शीर्षकों में आकलित की गयी कर-योग्य आयों के योग से है, जो कर दाता की निवासीय स्थिति (Resident or Non-resident) को दृष्टिगत रखते हुए जोड़ी जाती है। (कर-योग्य आय का अर्थ प्रत्येक शीर्षक की सकल आय में से उसी शीर्षक की स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद बची आय से है जिसमें से धारा 80 में देय कटौतियाँ न घटायी गयी हों।)

क्रम	आय शीर्षक	आयकर अधिनियम संदर्भ
(I)	वेतन (Salary)	धारा 15 से धारा 17
(II)	मकान संपत्ति से आय (Income from House Property)	धारा 22 से धारा 27
(III)	अन्य स्रोतों से आय (Income from Other Sources)	धारा 56 से धारा 59

(I) वेतन (Salary) से आय

वेतन की परिभाषा :- धारा 15 में 'वेतन' को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है—
'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत एक करदाता को अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से गत वर्ष के दौरान—

- वेतन प्राप्य है, चाहे प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं (salary due, whether paid or not);
- वेतन प्राप्त या स्वीकृत हो गया है, यद्यपि प्राप्य नहीं हुआ (salary paid or allowed, though not due or before it become due);
- बकाया वेतन प्राप्त या स्वीकृत हो गया है बशर्ते कि पूर्व वर्षों में इस पर कर न लगा हो (Arrears of salary paid or allowed, if not charged to income tax for any earlier previous years.)

वेतन शीर्षक में आय, प्राप्ति अथवा प्राप्य जो भी पहले हो, के आधार पर कर योग्य होती है।
धारा 17 के अनुसार ऊपर वर्णित धारा 15 में प्रयुक्त शब्द 'वेतन' में निम्न शामिल हैं :-

- (i) मजदूरी (wages);
- (ii) कोई वार्षिकी अथवा पेंशन (any annuity or pension);
- (iii) कोई उपादान (any gratuity);
- (iv) कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ तथा वेतन या मजदूरी के स्थान पर या वेतन अथवा मजदूरी के अतिरिक्त कोई लाभ (any fees, commissions, perquisites or profits in lieu of or in addition to any salary or wages);
- (v) कोई अग्रिम वेतन (Any advance of salary);
- (vi) अवकाश के बदले नकद राशि (Leave encashment);
- (vii) हस्तान्तरित शेष (Transferred Balance) का कर योग्य अंश।

कर—योग्य आय की गणना :-

प्राप्त एवं प्राप्य वेतन का सम्पूर्ण योग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में आकलित करने के बाद धारा-10 के अन्तर्गत वर्णित 'कर मुक्त आय' को घटाया जायेगा।

कर मुक्त आय :-

➤ कृषि आय (Agricultural Income) – धारा 2(1A) एवं धारा 10(1)

कृषि आय कर से पूर्णतया मुक्त है, परन्तु कृषि आय के साथ-साथ यदि दूसरे साधनों से आय 'कर से अधिकतम छूट सीमा' से अधिक हो तो ऐसी दूसरी आय के साथ कृषि आय केवल कर की दर गणना के विचार से (Consider for Rate purpose) ली जाती है कृषि आय में 'कर की अधिकतम छूट सीमा' को जोड़ने पर, प्राप्त योग पर निकाले कर से छूट दी जाती है। यदि गैर-कृषि साधनों यथा वेतन से कुल आय 'कर से अधिकतम छूट सीमा', से कम है, तो कृषि आय चाहे कितनी भी हो, कोई कर नहीं लगेगा।

➤ अवकाश यात्रा सुविधा – धारा 10(5)

➤ कर्मचारी द्वारा प्राप्त मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपादान— धारा 10(10)

केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मियों के लिये अधिकतम सीमा ₹10 लाख तक निर्धारित की गयी है।

➤ पेंशन के राशिकरण का भुगतान— धारा 10(10A) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मियों के लिये राशिकरण की धनराशि की सीमा तक, परन्तु अन्य के लिये ₹3.5 लाख तक (दिनांक 24-9-1997 से)

➤ सेवानिवृत्ति पर छुट्टियों का नकदीकरण— धारा 10 (10AA)

केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मियों के लिये नकदीकरण की धनराशि की सीमा तक, परन्तु अन्य के लिये ₹3 लाख तक (दिनांक 1-4-1998 से)

- सेवा से छंटनी के समय देय प्रतिपूर्ति— धारा 10 (10B) ₹5 लाख तक)
- VRS के समय प्राप्त धनराशि— धारा 10 (10C) (₹5 लाख तक)
- जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त धनराशि — धारा 10 (10D)
- भविष्य निधि अधिनियम (P.F. Act), 1925 के अन्तर्गत स्थापित निधि से अग्रिम/भुगतान तथा ब्याज — धारा 10(11)
- शिक्षा खर्च हेतु स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ — धारा 10(16)
- सांसदों एवं विधायकों का दैनिक एवं निर्वाचन क्षेत्र भत्ता — धारा 10(17)
- परमवीर/महावीर/वीर चक्र से आच्छादित प्राप्तकर्ता अथवा उनके परिवार कि किसी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन— धारा 10(18)

उक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के भत्ते भी हैं जो सशर्त कर-मुक्त होते हैं अथवा कर-मुक्त नहीं होते।

- मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)— (धारा 10 (13A) Rule 2A)—नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिये जाने वाला यह भत्ता विशेष रूप से मकान के किराए का व्यय वहन करने के लिए दिया जाता है। यदि कर्मचारी अपने ही मकान में रह रहा है अथवा जिस मकान में वह रह रहा है, उस पर उसने किराए के सम्बन्ध में (चाहे जिस नाम से कहें) वास्तव में कोई राशि खर्च नहीं की हो, तो कर्मचारी को मिलने वाले मकान किराए भत्ते की सम्पूर्ण राशि कर योग्य होगी। यदि कर्मचारी रहने के मकान का किराया देता है तो उसे प्राप्त 'मकान किराए भत्ते' की राशि निम्न में से सब से कम सीमा तक करमुक्त होगी:—
 - (i) 'सम्बन्धित अवधि' के लिए प्राप्त भत्ते की वास्तविक राशि; या
 - (ii) दिए गए किराए का सम्बन्धित अवधि के वेतन के 1/10 भाग पर आधिक्य (Excess of Rent paid over 1/10th of salary); या
 - (iii)(a) यदि यह रहने का मकान बम्बई, कलकत्ता दिल्ली अथवा मद्रास में स्थित है, तो सम्बन्धित अवधि के वेतन के 1/2 भाग अथवा 50% के बराबर राशि; और
 - (b) यदि यह रहने का मकान अन्य किसी स्थान पर स्थित है तो सम्बन्धित अवधि के वेतन के 2/5 भाग अथवा 40% के बराबर राशि।

स्पष्टीकरण :

- (1) यहाँ 'वेतन' से आशय मूल वेतन में महँगाई भत्ता भी शामिल किया जाता है यदि सेवा की शर्तों में ऐसा आयोजन हो। इसके अलावा कुछ शामिल नहीं होगा।
 - (2) 'सम्बन्धित अवधि' से आशय उस अवधि से है जिसमें करदाता गत वर्ष में किराये के मकान में रहा हो।
 - (3) यदि करदाता को गत वर्ष में बकाया वेतन अथवा अग्रिम वेतन प्राप्त हुआ है तो केवल गत वर्ष से सम्बन्धित वेतन ही लिया जाएगा न कि अग्रिम व बकाया वेतन।
 - (4) यहाँ वेतन प्राप्य आधार पर ही लिया जाएगा, चाहे वास्तव में प्राप्त हुआ है या नहीं।
 - (5) 'दिए गए किराए' (Expenditure actually incurred) से आशय यह नहीं है कि अगर किसी कारण से किराया कुछ समय न दिया जा सका हो तो वह राशि दी न समझी जाएगी।
- शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (City Compensatory Allowance)— यह भत्ता प्राप्तकर्ता की कर योग्य आय में सम्मिलित किया जाता है
 - टिफिन भत्ता (Tiffin Allowance)— यह पूर्णतया कर योग्य आय मानी जाती है।
 - नौकर भत्ता (Servant Allowance)— नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया ऐसा भत्ता उसकी कर योग्य आय से जोड़ा जाता है।

- **प्रेक्टिस न करने का भत्ता (Non-practising Allowance)**— यह राशि करदाता की पूर्णतया कर-योग्य वेतन आय मानी जाती है।
- विशेष भत्ते** :- सरकार द्वारा कुछ भत्ते पूर्णतया आवश्यक रूप से तथा मात्र नौकरी कर्तव्य पालन करने हेतु व्यय करने के लिए विशिष्टतया स्वीकार किए जाते हैं जो केवल खर्च करने की राशि तक कर-मुक्त होते हैं। ऐसे खर्चों को केन्द्रीय सरकार धारा 10(14)(i) अथवा (ii) के अन्तर्गत अधिसूचित (Notify) करती है। कुछ ऐसे भत्तों का वर्णन किया जा रहा है—
- **आयकर अधिनियम की धारा 10(14) एवं नियम 2BB (1)(e) के अन्तर्गत academic, research and training को encourage करने हेतु दिये जाने वाले भत्ते, चाहे उन्हें कोई नाम दिया गया हो और जो किसी शैक्षणिक या शोध संस्थान में दिये जाते हैं, करमुक्त है।**
- **वर्दी भत्ता (Uniform Allowance)** :- यह वास्तविक खर्च की राशि तक करमुक्त होता है।
- **दैनिक भत्ता (Daily Allowance)** :- यह भत्ता कोई आय का साधन नहीं माना जाता, बल्कि कर्मचारी द्वारा किए खर्च की पूर्ति मात्र होता है। अतः यह कर मुक्त होता है।
- **यात्रा भत्ता (Travelling Allowance)** :- ऐसे खर्चों की पूर्ति कर्मचारी की आय नहीं मानी जाती।
- **सवारी भत्ता (Conveyance Allowance)** :- अपने पद के कर्तव्य का पालन करने के लिए कर्मचारी द्वारा सवारी पर जो राशि खर्च की जाती है उन की पूर्ति के लिए स्वीकृत सवारी भत्ता पूर्णतया कर-मुक्त होगा Handicapped Conveyance Allowance भी कर से मुक्त है।
- **पर्वतीय, बार्डर, ट्राईबल, कठिन एरिया भत्ता** :- यह भत्ता पर्वतीय क्षेत्र, बर्फीले इलाके अथवा कठिन एरिया में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है क्योंकि ऐसे क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा जीवन निर्वाह की लागत अधिक होती है। यह भत्ता अधिसूचना में दी गई सीमा तक कर मुक्त होता है। ऐसे भत्ते Composite Hill Compensatory Allowance, Remote Area Allowance, Difficult Area Allowance, Disturbed Area Allowance, Tribal Area Allowance आदि होते हैं।
- **विद्योपार्जन भत्ता (Academic Allowance)** :- यह भत्ता खर्च की गई राशि तक कर-मुक्त होता है।
- **अतिरिक्त समय कार्य करने का भत्ता (Overtime Allowance)** :- यह भत्ता पूर्णतया कर योग्य है।
- **प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance)** :- यह भत्ता पूर्णतया कर योग्य वेतन आय है।
- **हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों को मकान किराया भत्ता**— यह भत्ता पूर्णतया कर मुक्त है।
- **परियोजना भत्ता (Project Allowance)** :- पूर्णतया कर योग्य है।
- **परिवार भत्ता (Family Allowance)** :- यह सैनिकों को मिलता है व कर-योग्य होता है।
- **विवाह भत्ता (Marriage Allowance)** :- यह पूर्णतया कर योग्य होता है।
- **ग्रामीण भत्ता (Rural Allowance)** :- पूर्णतया कर योग्य है।
- **वार्डन भत्ता (Warden Allowance)** :- पूर्णतया कर योग्य होता है।
- **Proctor Allowance** :- पूर्णतया कर योग्य होता है।
- **भारतीय कर्मचारियों को विदेश में भत्ते—धारा 10(7)** — भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को विदेश में उनकी सेवाओं के प्रतिफल में दिये जाने वाले सभी भत्ते कर मुक्त होते हैं।

(II) मकान-सम्पत्ति से आय (Income from House Property)

‘किसी अन्य साधन/शीर्षक से हानि’ को वेतन आय से समायोजित (Adjustment) करने का अधिकार DDO को नहीं दिया गया है। यदि अन्य किसी शीर्षक में हानि है तो छूट दावा करने के लिए कर्मचारी को आय की विवरणी दाखिल करनी होगी।

परन्तु स्वयं के निवास के लिये मकान सम्पत्ति से आय/हानि की गणना टीडीएस हेतु निम्न प्रकार से की जायेगी—

- 1— दिनांक 01-04-1999 के पूर्व लिये गये गृह निर्माण ऋण पर ब्याज की धनराशि पर अधिकतम ₹30,000 तक की कटौती अनुमन्य है।
- 2— दिनांक 01-04-1999 या उसके बाद लिये गये गृह निर्माण ऋण पर ब्याज की धनराशि पर अधिकतम ₹1,50,000 तक की कटौती अनुमन्य है, यदि गृह निर्माण किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण लेकर किया गया हो और ब्याज सम्बन्धी प्रमाणपत्र बैंक/संस्था द्वारा दिया गया हो। (धारा 23 एवं 24)

(III) अन्य स्रोतों से आय (Income From Other Sources)

इस शीर्षक में किसी आय की गणना तभी की जाती है जब वह आय किसी अन्य विशिष्ट शीर्षक यथा वेतन या मकान-सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत नहीं लिखी जा सकती। आयकर अधिनियम की धारा 56(2) में कुछ निर्दिष्ट अन्य स्रोतों से आयों का वर्णन—

- लाभांश (Dividend);
 - लाटरी का इनाम, वर्ग पहलियाँ (Crossword puzzles), घुड़दौड़, ताश, जुआ अथवा शर्त (दौंव) आदि से आय,
 - प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय यदि वह आय व्यापार अथवा पेशे से लाभ के शीर्षक में कर योग्य न हो,
 - करदाता द्वारा अपनी मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर को किराए पर उठाने से हुई वह आय जिस पर 'व्यापार अथवा पेशे' के शीर्षक में आयकर नहीं लग सकता है,
 - जब कोई करदाता अपनी मशीन अथवा प्लांट अथवा फर्नीचर के साथ भवन भी किराए पर उठाता है और उस मकान का किराए पर उठाना उक्त मशीन आदि के किराए पर उठाने से पृथक नहीं किया जा सकता है तो ऐसे भवन से किराए की आय, यदि उस पर 'व्यापार अथवा पेशे' के शीर्षक में आयकर नहीं लग सकता है।
- उपरोक्त आयों के अतिरिक्त और भी बहुत सी आयें हैं जिनकी गणना, अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में की जाती है। कुछ मुख्य आय के उदाहरण नीचे दिये गए हैं—

- सब प्रकार का ब्याज चाहे बैंक जमा पर हो या प्रतिभूतियों पर ऋण देने पर, आदि
- बीमा कमीशन
- आकस्मिक आय
- सांसद या विधायक को दिया गया वेतन
- शिकमी किराएदारी (Subletting) से आय
- रायल्टी (जो व्यापार शीर्षक में न आती हो)
- कर्मचारी द्वारा नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से प्राप्त कोई फीस या कमीशन जैसे अध्यापक को परीक्षा लेने का प्रतिफल उत्तरपुस्तिका जाँचने का प्रतिफल आदि
- किसी वसीयत (Will) के अन्तर्गत मिली हुई राशि
- संचालक शुल्क (Director's Fees);
- कम्पनी द्वारा बैंक के लिए ऋण की गारन्टी उसके संचालक द्वारा दिए जाने पर संचालक को प्राप्त कमीशन
- किसी अघोषित साधन से आय (Undisclosed Source of Income)
- करदाता की कुल आय में शामिल होने वाली किसी अन्य व्यक्ति की आय
- किसी गैर-पेशेवर को पत्रिका में लेख देने से हुई आय
- किसी ऐसी भूमि का किराया जो मकान से न लगी (Attached) हो
- पट्टे पर रखी हुई सम्पत्ति से आय
- मृतक कर्मचारी की विधवा तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त परिवारिक पेंशन (Family Pension);
- अप्रमाणित फंड में कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज

बिना स्पष्ट किया नकद साख, पुस्तकों में बिना लिखे विनियोग, पुस्तकों में बिना लिखा हुआ धन, न स्पष्ट किया हुआ व्यय आदि इस शीर्षक की आय मानी जाती है।

उपरोक्त वर्णित (I) से (III) तक के शीर्षकों के कर योग्य आय का योग कर 'सकल कुल आय' ज्ञात की जाती है। इसके उपरान्त आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अधीन दी जाने वाली धारा 80 की कटौतियाँ घटाई जायेंगी। इस प्रकार प्राप्त अवशेष आय को "कुल आय" (TOTAL INCOME) कहते हैं। कुल आय को आयकर योग्य आय (TAXABLE INCOME) भी कहते हैं तथा इसी पर आयकर की गणना की जाती है।

अध्याय VI-A (Deductions to be made in computing total income)

80C— निम्नलिखित में कर प्रभार्य आय से निवेश किये जाने पर अधिकतम कुल ₹1 लाख की सीमा तक कटौती अनुमन्य होगी—

- जीवन बीमा प्रीमियम की धनराशि
- सामूहिक बीमा योजना की धनराशि
- भविष्य निधि अधिनियम, 1925 द्वारा सृजित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
- राष्ट्रीय बचत योजना या केन्द्र सरकार की सिक्कुरिटीज़ में जमा धनराशि
- राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश
- यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना
- लोक भविष्य निधि योजना
- गृह निर्माण अग्रिम की मूलधन वापसी
- इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना
- दो बच्चों की पूर्ण कालिक शिक्षा हेतु ट्यूशन फीस
- म्यूचुअल फण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड, इत्यादि।

80 CCC- पेंशन फण्ड में अभिदान

किसी बीमाकर्ता कम्पनी द्वारा स्थापित पेंशन निधि, जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा अनुमोदित हो, में ₹1 लाख तक की अधिकतम प्रीमियम भुगतान राशि कटौती हेतु अनुमन्य है।

80 CCD- पेंशन अंशदायी योजना में अभिदान

केन्द्र सरकार में दिनांक 01-01-2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मी द्वारा पेंशन अंशदायी योजना में अपने मूल वेतन और मंहगाई का अधिकतम 10 प्रतिशत का अभिदान।

80 CCE- धारा 80C, 80CCE एवं 80CCD में निवेश की समग्र धनराशि ₹1 लाख से अधिक नहीं होगी।

80CCF- In computing the total income of an assessee, being an individual or a Hindu undivided family, there shall be deducted, the whole of the amount, to the extent such amount does not exceed twenty thousand rupees, paid or deposited, during the previous year relevant to the assessment year beginning on the 1st day of April, 2011 as subscription to long-term infrastructure bonds as may, for the purposes of this section, be notified by the Central Government.

[or to the assessment year beginning on the 1st day of April, 2012]

80D- चिकित्सा बीमा प्रीमियम

स्वयं, पत्नी, बच्चों अथवा आश्रितों के स्वास्थ्य चिकित्सा प्रीमियम की धनराशि ₹15 हजार की सीमा तक कटौती हेतु अनुमन्य है बशर्ते भुगतान चेक के माध्यम से किया गया हो।

80DD- निःशक्त आश्रित व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार प्रशिक्षण और पुनर्वास या किसी स्कीम के अधीन जमा

आश्रित निःशक्त व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है) प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपगत किया कोई व्यय या जीवन बीमा निगम या किसी स्कीम के अधीन जमा की है वहाँ निर्धारिती को सकल कुल आय से ₹50,000 की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त आश्रित व्यक्ति के प्रकरण में ₹1,00,000 की कटौती की जाएगी। कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक चिकित्सा प्राधिकारी से विहित प्रारूप और रीति में प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता और आय की विवरणी के साथ उसकी प्रति नहीं दे दी जाती।

80DDB- चिकित्सा उपचार व्यय

निर्धारिती को स्वयं या किसी आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय करने पर धनराशि ₹40,000 की अधिकतम सीमा तक कटौती अनुज्ञात की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों हेतु ₹60,000 तक की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती आयकर विवरणी के साथ विहित प्रारूप में किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत या ऐसे किसी विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र नहीं देता। उक्त कटौती कैंसर, एड्स, किडनी विफलता, थैलेसेमिया और कुछ स्नायु रोगों की चिकित्सा के लिए अनुमन्य है। ये व्याधियाँ सूचीबद्ध हैं तथा इनका प्रमाण पत्र फार्म 10-I पर सम्बन्धित विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा निर्गत किया जायेगा।

80 E- उच्च शिक्षा हेतु लिए गये ऋण का प्रतिसंदाय

स्वयं अथवा परिवार में आश्रित पत्नी, पुत्र या पुत्री की उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण के ब्याज की धनराशि का भुगतान करने पर पूर्ण ब्याज की धनराशि तक कटौती अनुज्ञात की जा सकती है। जिस निर्धारण-वर्ष में ब्याज की प्रथम प्रतिसंदाय राशि अदा की गयी है उससे आठ निर्धारण-वर्षों तक या निर्धारिती द्वारा ब्याज की पूर्ण अदायगी किये जाने तक, इनमें जो पहले हो, कटौती अनुज्ञात की जायेगी। यहाँ उच्च शिक्षा का अर्थ है अभियान्त्रिकी, चिकित्सा, प्रबंधन में पूर्णकालिक स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान (गणित या सांख्यिकी शामिल) में स्नातकोत्तर उपाधि।

80 G- कतिपय निधियों और संस्थाओं को दिये हुए दान

कतिपय निधियों और संस्थाओं को दिये हुए दान के कुछ मामलों में 50 प्रतिशत तथा कुछ मामलों में दान दी गयी धनराशि के 100 प्रतिशत की कटौती अनुज्ञात की जाती है।

50 प्रतिशत की कटौती उपलब्ध है :-

1. Jawaharlal Nehru Memorial Fund.
2. The Prime Minister's Drought Relief Fund
3. The National Children's Fund,
4. The Indira Gandhi Memorial Trust,
5. The Rajiv Gandhi Foundation.

100 प्रतिशत की कटौती उपलब्ध है :-

1. National Defence Fund or The P.M's National Relief Fund.
2. The Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund.
3. The Africa (Public Contributions - India) Fund.
4. The National Foundation for Communal Harmony.
5. Chief Minister's Earthquake Relief Fund - Maharashtra.
6. National Blood Transfusion Council.
7. State Blood Transfusion Council.
8. Army Central Welfare Fund.
9. Indian Naval Benevolent Fund.
10. Air Force Central Welfare Fund.
11. The Andhra Pradesh Chief Minister's Cyclone Relief Fund – 1996.
12. The National Illness Assistance Fund.

13. The Chief Minister's Relief Fund or Lieutenant Governor's Relief Fund in respect of any State or Union Territory as the case may be, subject to certain conditions.
14. The University or Educational Institution of national eminence approved by the Prescribed Authority.
15. The National Sports Fund to be set up by Central Government.
16. The National Cultural Fund Set up by the Central Government.
17. The Fund for Technology Development and Application set by the Central Govt.
18. The National Trust for Welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple disabilities.

कटौती हेतु उक्त दान अभिलेख प्रमाणित होना चाहिए। उपरोक्त को छोड़कर अन्य किसी संस्था को दिये गये दान की कटौती की छूट, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपने स्तर से नहीं दी जायेगी।

80 U- स्थायी शारीरिक विकलांगता की दशा में कटौती

स्थायी शारीरिक अपंगता आदि से ग्रस्त निर्धारिती को धारा 80 यू के अंतर्गत कटौती अनुज्ञात है। स्थायी शारीरिक निःशक्तता के अंतर्गत अंधापन भी है या वह ऐसी मानसिक मंदता से ग्रस्त है जिसे किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, या मनःचिकित्सक ने प्रमाणित किया है और जिसके प्रभाव स्वरूप सामान्य कार्य अथवा अभिलाभपूर्ण नियोजन या जीविका में लगने की सामर्थ्य पर्याप्त रूप से कम हो गयी है। कुल आय की संगणना करने में धनराशि ₹50,000 की कटौती सामान्य निःशक्तता हेतु तथा ₹1,00,000 की कटौती गम्भीर निःशक्तता हेतु अनुज्ञात की जा सकेगी। निर्धारिती द्वारा आयकर विवरणी के साथ विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की एक प्रति जमा की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2011-2012, (निर्धारण-वर्ष 2012-2013) हेतु आयकर की दरें :-
सामान्य आयकर की दरें :-

कुल आय	दर
₹1,80,000 तक	शून्य
₹1,80,000 से ₹5,00,000 तक	₹1,80,000 से अधिक धनराशि का 10%
₹5,00,000 से ₹8,00,000 तक	₹32,000 + ₹5,00,000 से अधिक धनराशि का 20%
₹8,00,000 से अधिक	₹92,000 + ₹8,00,000 से अधिक धनराशि का 30%

महिलाओं के लिये आयकर की दरें :-

कुल आय	दर
₹1,90,000 तक	शून्य
₹1,90,000 से ₹5,00,000 तक	₹1,90,000 से अधिक धनराशि का 10%
₹5,00,000 से ₹8,00,000 तक	₹31,000 + ₹5,00,000 से अधिक धनराशि का 20%
₹8,00,000 से अधिक	₹91,000 + ₹8,00,000 से अधिक धनराशि का 30%

वरिष्ठ नागरिकों के लिये आयकर की दरें :-

कुल आय	दर
₹2,50,000 तक	शून्य
₹2,50,000 से ₹5,00,000 तक	₹2,50,000 से अधिक धनराशि का 10%
₹5,00,000 से ₹8,00,000 तक	₹25,000 + ₹5,00,000 से अधिक धनराशि का 20%
₹8,00,000 से अधिक	₹85,000 + ₹8,00,000 से अधिक धनराशि का 30%

इसके अतिरिक्त देय आयकर पर 2% की दर से एजुकेशनल सेस एवं 1% की दर से सेकेण्डरी और हायर एजुकेशन सेस (कुल 3% सेस) भी देय होगा।

आयकर गणना के स्तर :-

- (क) पूर्व में वर्णित शीर्षकों (I) से (III) तक की कर-योग्य आय का योग कर 'सकल कुल आय' निकालें।
- (ख) 'क' में प्राप्त सकल कुल आय से धारा 80 C, 80 CCC एवं 80 CCD की कटौती ₹1 लाख की सीमा तक घटायें।
- (ग) 'ख' से प्राप्त धनराशि से धारा 80 के अन्तर्गत अन्य उपबन्धों में वर्णित कटौतियाँ, यदि अनुमन्य हों, तो उन्हें घटायें।
- (घ) अब 'ग' से प्राप्त आय कुल आय है इस पर आयकर आकलित करें। यही देय आयकर होगा।

आयकर रिटर्न :-

आय की विवरणी किसे भरनी है ? (Who should file the Return of Income?):-

प्रत्येक व्यक्ति जिस की गत वर्ष की कुल आय 'कर से छूट की अधिकतम सीमा' से अधिक है तो वह व्यक्ति अपनी आय की विवरणी दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है। निर्धारण वर्ष 1993-94 से उन सभी करदाताओं के लिए अपनी आय की विवरणी भरना आवश्यक है चाहे उनके द्वारा देयकर की पूरी राशि नियोक्ता द्वारा स्रोत पर ही काट ली गई हो। यदि व्यक्ति की कुल आय करयोग्य है परन्तु धारा 88 के तहत देयकर से छूट घटाने पर यदि कोई कर देय नहीं बनता तो भी वह रिटर्न भरने के लिए उत्तरदायी है।

परन्तु 23 जून, 2011 के नोटीफिकेशन द्वारा रिटर्न हेतु निम्न सुविधा प्रदान की गयी है-

Individuals having total income up to Rs.5,00,000 for FY 2010-11, after allowable deductions, consisting of salary from a single employer and interest income from deposits in a saving bank account up to Rs.10,000 are not required to file their income tax return. Such individuals must report their Permanent Account Number (PAN) and the entire income from bank interest to their employer, pay the entire tax by way of deduction of tax at source, and obtain a certificate of tax deduction in Form No.16.

Persons receiving salary from more than one employer, having income from sources other than salary and interest income from a savings bank account, or having refund claims shall not be covered under the scheme.

आय की विवरणी दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा (Maximum Period to furnish a Return of Income) अथवा लेट विवरणी धारा 139(4) :-

एक व्यक्ति जिसने अपनी विवरणी धारा 139 (1) में निर्धारित समय अवधि के अन्दर या विभाग द्वारा धारा 142 (1) के तहत जारी नोटिस में दी गई समय सीमा के अन्दर दाखिल नहीं की है, तो वह उस गत वर्ष से सम्बन्धित आय की विवरणी सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर या या निर्धारण पूरा होने से पूर्व, जो भी पहले हो, दाखिल कर सकता है।

उद्गम/स्रोत पर कर की कटौती (Tax Deduction at Sources or TDS) :-

उद्गम स्थान पर कर की कटौती से तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर आय का भुगतान किया जा रहा है, उस स्थान पर आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति देय आय में से कर काट ले तथा शेष रकम का भुगतान आय प्राप्तकर्ता को दे दे तथा कर की काटी हुई रकम

सरकारी खजाने में जमा करा दे। इस प्रकार कर की कटौती "स्रोत/उद्गम स्थान पर कर की कटौती" (Tax Deduction at Source) कहलाती है।

उद्गम स्थान पर कर—कटौती योग्य भुगतान (Payments subject to Deduction of Tax at Source):-

भुगतान करते समय उनके सामने दी गई धाराओं के अनुसार उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी चाहिए।

1. वेतन (धारा 192)
2. प्रतिभूतियों पर ब्याज (धारा 193)
3. ठेकेदारों व उप-ठेकेदारों को भुगतान (धारा 194C)

वेतन से उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source from Salary)

धारा 192 के कुछ आवश्यक विवरण निम्नवत् हैं—

1. वेतन देने वाले का कर्तव्य (Duty of the Person Responsible for Paying Salary) :-

प्रत्येक वेतन देने वाले व्यक्ति (Drawing and Disbursing officer or DDO) का कर्तव्य है कि भुगतान करने से पूर्व देय अनुमानित वेतन पर निर्धारित दर (चालू वित्तीय वर्ष की नियमित दर) से कर की कटौती करके राजकीय कोष में जमा करा दें।

2. एक से अधिक नियोक्ताओं की दशा में :- (Rule 26A, Form 12B) किसी वित्तीय वर्ष में यदि कोई करदाता अथवा दो या अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करता है तो वह इच्छानुसार किसी एक नियोक्ता को अन्य नियोक्ताओं से मिलने वाली 'वेतन शीर्षक' की आय का पूरा विवरण तथा उनके द्वारा 'उद्गम स्थान पर काटे गए कर' का विवरण दे सकता है। यह विवरण लिखित में एवं करदाता तथा पूर्व/दूसरे नियोक्ता से सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। अब वर्तमान नियोक्ता द्वारा सकल वेतन आय (पूर्व/दूसरे नियोक्ता से प्राप्त वेतन भी मिलाकर) पर भुगतान के समय निर्धारित दर से कर काट कर खजाने में जमा कराने का दायी होगा।

(2A) सरकार अथवा किसी कम्पनी, सहकारी समिति, आदि के कर्मचारियों की दशा में :- सरकार अथवा किसी कम्पनी सहकारी समिति, स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालय, संस्था, व्यक्ति का संघ अथवा समूह के कर्मचारी की दशा में, यदि कर्मचारी, बकाया वेतन अथवा अग्रिम वेतन (Pay Arrear/Advance) की प्राप्ति अथवा प्राप्य होने की दशा में धारा 89(1) के तहत छूट पाने का हकदार है, तो वह वेतन देने वाले व्यक्ति (DDO) को इस सम्बन्ध में आवश्यक विवरण निर्धारित फार्म (Form 10E) में निर्धारित ढंग से सत्यापित करके दे सकता है तथा ये सब प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त व्यक्ति (DDO) द्वारा उद्गम स्थान पर कर काटते वक्त राहत की राशि को विचार में (take it into account) रखा जाएगा। अर्थात् वेतन शीर्षक की कुल आय पर देयकर में से राहत (Relief) की राशि घटाई जाएगी व शेष देयकर को भुगतान से पूर्व कर के रूप में काट लिया जाएगा।

(2B) वेतन के अलावा अन्य आय होने की दशा में Rule 26B :- यदि किसी करदाता की वेतन शीर्षक से आय के अतिरिक्त 'अन्य किसी शीर्षक' में कर योग्य आय है (अन्य किसी शीर्षक की हानि नहीं) और वह अपने नियोक्ता को ऐसी अन्य आय तथा उस आय पर उद्गम स्थान पर कटे हुए कर का आवश्यक विवरण निर्धारित ढंग से सत्यापित करके दे देता है तो नियोक्ता ऐसी अन्य आय तथा कटे हुए कर को ध्यान में रखकर वेतन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती (TDS) करेगा।

ठेकेदार व उप-ठेकेदारों को किए गए भुगतान (Payment to Contractors and Sub Contractors) धारा 194C

निम्न द्वारा किसी निवासी ठेकेदार को कोई काम करने अथवा किसी काम के लिए श्रम की पूर्ति करने के प्रतिफल में किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में आयकर की कटौती (TDS) करनी होगी—

- (a) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार; या
 - (b) स्थानीय निकाय; या
 - (c) वैधानिक निगम; या
 - (d) कम्पनी; या
 - (e) कोई सहकारी समिति; या
 - (f) कोई प्राधिकरण, जिस की स्थापना कानून के तहत हुई हो तथा जिस का मुख्य उद्देश्य मकानों की आवश्यकता पूर्ति करना है अथवा शहर, नगर और गांवों का नियोजन तथा विकास करना है अथवा उपरोक्त दोनों ही उद्देश्य है जैसे GDA, HUDA, LDA, ADA आदि
 - (g) कोई सोसाइटी, जिसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हुआ हो; या
 - (h) कोई ट्रस्ट; या
 - (i) कोई विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत हुई हो
- यह कटौती ठेकेदार को राशि का भुगतान करते समय, या चैक या ड्राफ्ट देते समय अथवा उस के खाते को क्रेडिट करते समय, जो भी पहले हो, भुगतान करने वाले द्वारा भुगतान की राशि पर 2% की दर से कटौती की जाएगी।

इसी प्रकार यदि कोई ठेकेदार अपने निवासी (Resident) उप-ठेकेदार को कोई भुगतान करता है तो उस भुगतान की राशि से भुगतान करते समय 1% की दर से उद्गम स्थान पर काटा जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार एक व्यक्ति अथवा हिन्दू आविभाजित परिवार नहीं है।

TDS (tax deducted at Source) Rate chart For Financial Year 2010-11				
Made To resident		Threshold	Company, firm, Co-op Society, Local authority	HUF, Individual
Section	Nature of payments	w.e.f. 01.07.10	Rate in %	
194C	Payment to Contractors, Pay to Advt/Sub Contr, Payment to Transporter	30000 (75000 in year)	2	1
194I	Rent-property	180000	10	10
194J	Professional Fees	30000	10	10
Note-1	Surcharge and Cess is not applicable on TDS from 01-04-2009 on any payment made to resident.			
Note-2	If pan not provided by the deductee then rate as per above table or 20% whichever is higher is to be calculated.			

स्पष्टीकरण :-

यदि कोई काम मजदूरी आधार (Piece Rate Basis) पर दिया जाए जिस की भुगतान राशि की कोई निश्चितता न हो, तो ऐसी दशा में यदि वित्तीय वर्ष के अन्दर ₹30,000 से ज्यादा का भुगतान होता है तो भी 2% की दर से कर काटा जाएगा। परन्तु टुकड़ों-टुकड़ों में किये गये भुगतान हेतु एक वित्तीय वर्ष में यह धनराशि ₹75,000 होगी।

टीडीएस (TDS) का केन्द्र सरकार के खाते में जमा किया जाना :-

कर काटने वाले व्यक्ति द्वारा यह कर की राशि नियम 30 के अनुसार निम्न समय अवधि में जमा कराई जाएगी-

टीडीएस (TDS) की कटौती	सरकारी विभाग द्वारा की गयी कटौती	सरकारी विभाग के अतिरिक्त किसी विभाग द्वारा की गयी कटौती
वेतन से कटौती	जिस दिन टीडीएस काटा गया उसी दिन	जिस माह में टीडीएस काटा गया है उस माह के अन्तिम दिन से एक सप्ताह के भीतर
वेतन से भिन्न कटौती	उपरोक्त	उपरोक्त परन्तु यदि लेखा वर्ष के अन्तिम दिन कटौती की गयी है तो आगामी दो माह के भीतर

टीडीएस (TDS) न काटने अथवा काटकर जमा न कराने के परिणाम (धारा 201) :-

इस अधिनियम की धारा 200 के अनुसार प्रत्येक कर काटने वाले व्यक्ति को उद्गम स्थान पर काटे कर की राशि को नियम 30 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कोष में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जमा कराना होता है। परन्तु यदि कोई कर काटने वाला व्यक्ति उद्गम स्थान पर कर नहीं काटता है अथवा काटकर निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर सरकारी खजाने में जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उस व्यक्ति को चूक में करदाता (Assessee in default) माना जाएगा तथा धारा 201 के अन्तर्गत उस के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

कर काटने वाला व्यक्ति काटी गई कर की राशि को विलम्ब से जमा कराने की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देने का दायी होगा। यह ब्याज कर काटने की तिथि से सरकारी खजाने में जमा कराने की तिथि तक लगाया जाएगा।

(धारा 201 (1A))

उद्गम स्थान पर कर न काटने पर अर्थदण्ड (धारा 271C) :-

यदि कोई व्यक्ति, जो उद्गम स्थान पर कर काटने के लिए दायी है, कर की पूरी राशि अथवा कोई भाग नहीं काटता है तो उस पर 'न काटे गए कर की राशि' के बराबर अर्थदण्ड (पेनल्टी) लगाई जा सकती है।

टीडीएस प्रमाण पत्र

Category	Periodicity of furnishing TDS certificate	Due date
Salary (Form 16)	Annual	31 st may
Non Salary (Form 16a)	Quarterly	Within fifteen days from the due date for furnishing the 'statement of tds'

ई-रिटर्न

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ करदाताओं को ई-विवरणी दाखिल किये जाने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। एक निर्धारित डाटास्ट्रक्चर पर टीडीएस रिटर्न भी इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा दाखिल किये जा सकते हैं।

ई-टीडीएस रिटर्न

दिनांक 01-04-2005 के पश्चात् आहरण वितरण अधिकारी द्वारा टीडीएस रिटर्न को कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराकर प्रेषित किया जायेगा। राज्य सरकार के आहरण वितरण अधिकारियों को निम्न प्रकार के टीडीएस रिटर्न अनिवार्य रूप में दाखिल करने होंगे-

- (1) Form 24 एवं Form 26 का टी0डी0एस0 रिटर्न इलेक्ट्रानिक मीडिया पर दिनांक 30 जून तक। उपरोक्त के साथ कागज प्रारूप पर हस्ताक्षरित कन्ट्रोल चार्ट Form 27 A के रूप में होगा।
- (2) इसके अतिरिक्त त्रैमासिक विवरण Form 24Q एवं Form 26Q के रूप में दाखिल किया जायेगा। यह दोनों फार्म भी इलेक्ट्रानिक मीडिया पर होंगे। इनके साथ भी कागज प्रारूप पर कन्ट्रोल चार्ट Form 27A के रूप में रहेगा।

Quarter	Last Date
April to June	15 July
July to September	15 October
October to December	15 January
January to March	15 May

(3) Form 24, Form 26, Form 24Q तथा Form 26Q 'रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी' द्वारा तैयार किये जायेंगे। इस सॉफ्टवेयर को निःशुल्क नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपाज़िटरी लिमिटेड की वेबसाइट <http://tin-nsdl.com/> अथवा www.tin-nsdl.com के "डाउनलोड" मेन्यू से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त आर0पी0यू0 के लिये कम्प्यूटर में विन्डोज़ आपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ एक्सेल 97 या उसके बाद का वर्ज़न होना चाहिये।

(4) ई-विवरणी को NSDL (नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपाज़िटरी लिमिटेड) के विभिन्न शहरों में खुले TIN-FC (टिन फ़ैसिलीटेशन सेन्टर) में जमा किया जायेगा तथा प्रेषित की जाने वाली CD पर एक लेबल लगाया जायेगा जिस पर TAN, Assessment Year, Form No., अवधि एवं नाम/विभाग का उल्लेख होगा। (आयकर अधिनियम की धारा 200(3) एवं 206C केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सर्कुलर नं0-8, दिनांक 19-09-2003, नं0-4 दिनांक 27-06-2005 तथा एस0ओ0-928(E), दिनांक 30-06-2005)

आहरण एवं वितरण अधिकारी के लिये कुछ अन्य बिन्दु :-

- PAN एवं TAN- आयकर की धारा 203 ए के अन्तर्गत PAN एवं TAN का रिटर्न, आदि में उल्लेख अनिवार्य कर दिया गया है। PAN प्राप्त करने हेतु Form 49A एवं TAN हेतु Form 49B का प्रयोग किया जाता है। ये फार्म TIN-FC से या आयकर विभाग की अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं। www.tin-nsdl.com वेबसाइट से PAN एवं TAN प्राप्त करने की आनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है।
- कोषागार से आहरण करने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी, TDS जमा हेतु मुख्य लेखाशीर्षक 8658 के उपयुक्त लघुशीर्षकों में बुक हस्तान्तरण के माध्यम से आयकर की कटौती सुनिश्चित करेंगे।
- कोषागार से भिन्न आहरण करने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी, TDS जमा हेतु चालान संख्या 281 का प्रयोग करेंगे। आयकर की अलग-अलग धाराओं में काटे गये TDS के लिये अलग-अलग चालान एवं कोड का प्रयोग किया जायेगा। उक्त चालान के पृष्ठ भाग पर कटौती के सुसंगत कोड उल्लिखित रहते हैं।
- Advance Tax/Self Assessment Tax/Tax on Regular Assessment हेतु चालान संख्या 280 का प्रयोग किया जायेगा। कर जमा हेतु सुसंगत कोड का उल्लेख होगा उदाहरणार्थ- 100 अग्रिम कर हेतु, 300 Self assessment tax हेतु, आदि। विभिन्न कर जमा के लिये अलग-अलग चालान का प्रयोग वांछित है।

व्यक्तिगत आयकर रिटर्न : "e-filing"

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वर्ष की कुल आय 'कर से छूट की अधिकतम सीमा' से अधिक है तो वह व्यक्ति अपनी आय की विवरणी दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है। आयकर विवरणी दाखिल करना आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत वैधानिक बाध्यता है। कालान्तर में इसमें संशोधन किया गया और कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से बिना डिजिटल हस्ताक्षर के भी इन्टरनेट द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा समस्त व्यक्तिगत आयकर दाताओं को उपलब्ध कराई गई। यह प्रक्रिया अत्यन्त सरल एवं सुगम है तथा आयकर रिटर्न दाखिल करने की अवधि के अन्दर इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी दिन किसी भी समय कोई भी व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। यहाँ यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस प्रक्रिया को अंगीकृत करने से पूर्व कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट का सामान्य ज्ञान आवश्यक है।

ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण

Internet द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सर्वप्रथम आयकर रिटर्न हेतु विशेष रूप से बनी वेबसाइट <http://incometaxindiaefiling.gov.in> पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। इस वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए पैन एवं एक e-mail ID का होना अत्यन्त आवश्यक है। इन दोनों में से किसी एक के न रहने पर पंजीकरण कराना सम्भव नहीं है।

रजिस्ट्रेशन विवरण में पंजीकरण कराने वाले को सर्वप्रथम एक पासवर्ड का निर्माण स्वयं करना होगा। इसके पश्चात् व्यक्तिगत विवरण के अन्तर्गत First Name, Middle Name, surname, Father's Name आदि दिया जाना है जिसमें surname को अनिवार्य बनाया गया है।

इसके पश्चात् सम्पर्क विवरण में फोन नं० और e-mail ID अनिवार्य रूप से दी जानी है।

सही रिटर्न प्रपत्रों का चुनाव

वर्तमान में आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु आईटीआर श्रेणी के रिटर्न प्रपत्र उपलब्ध हैं। इन प्रपत्रों की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में अलग से जारी किये जाते हैं। उदाहरण के लिए कर निर्धारण वर्ष 2012-13 हेतु क्या रिटर्न प्रपत्र होगा यह इसी वेबसाइट पर माह अप्रैल/मई, 2012 तक घोषित किये जायेंगे। इन प्रपत्रों की दूसरी विशेषता यह है कि इन पर कर निर्धारण वर्ष पहले से ही मुद्रित रहता है।

अतः आयकर आदाता सर्वप्रथम यह निर्धारित करेगा कि उसे किस आईटीआर पर अथवा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में किस रिटर्न फार्म पर आयकर दाखिल करना है। इसके पश्चात् वह वेबसाइट से सम्बन्धित आयकर रिटर्न फार्म की Excel Utility को डाउनलोड करेगा तथा रिटर्न तैयार कर उक्त वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

इस प्रकार स्वतः ही रिटर्न दाखिल हो जायेगा। रिटर्न दाखिल हो जाने के उपरान्त ई-मेल पर एवं स्क्रीन पर ITR-V जनरेट होगा जिसे प्रिन्टर से छाप लिया जायेगा। इस ITR-V को स्पीड/ सामान्य पोस्ट से Centralized Processing Centre, Bengaluru के उपयुक्त पते पर प्रेषित कर दिया जायेगा।

सन्दर्भ :-

- ❖ आयकर अधिनियम, 1961
- ❖ आयकर नियमावली, 1962
- ❖ आयकर विभाग की वेबसाइट <http://www.incometaxindia.gov.in/>
- ❖ एवं <http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/>
- ❖ नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट <http://www.tin-nsdl.com/>
- ❖ विभिन्न आयकर सर्कुलर एवं नोटिफिकेशन्स।

डिस्क्लेमर :-

यह लेख वेतनभोगी करदाता एवं आहरण वितरण अधिकारी के मात्र मार्गदर्शन हेतु है। नियमों की विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त वर्णित सन्दर्भ ग्रन्थों के साथ-साथ आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सर्कुलर/नोटीफिकेशन आदि का अध्ययन आवश्यक है।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त लेख के आधार पर आकलित आयकर की गणना में अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति किसी पाठक को होती है तो उसके लिये लेखक, संस्थान, सम्पादक मण्डल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।
